



## भारतीय रिज़र्व बैंक RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : [www.rbi.org.in/hindi](http://www.rbi.org.in/hindi)

Website : [www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in)

ई-मेल/email : [helpdoc@rbi.org.in](mailto:helpdoc@rbi.org.in)



संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001

Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

1 अक्तूबर 2025

### भारतीय रिज़र्व बैंक ने निदेशों/ परिपत्रों के मसौदे जारी किए

दिनांक 1 अक्तूबर 2025 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसरण में, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए निम्नलिखित निदेशों/ परिपत्रों के मसौदे जारी किए हैं:

#### 1. भारतीय रिज़र्व बैंक (लेनदेन खाते) निदेश, 2025

- i) भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - लेनदेन खाते) निदेश, 2025
- ii) भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक - लेनदेन खाते) निदेश, 2025
- iii) भारतीय रिज़र्व बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - लेनदेन खाते) निदेश, 2025
- iv) भारतीय रिज़र्व बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक - लेनदेन खाते) निदेश, 2025
- v) भारतीय रिज़र्व बैंक (शहरी सहकारी बैंक - लेनदेन खाते) निदेश, 2025
- vi) भारतीय रिज़र्व बैंक (ग्रामीण सहकारी बैंक - लेनदेन खाते) निदेश, 2025
- vii) भारतीय रिज़र्व बैंक (भुगतान बैंक - लेनदेन खाते) निदेश, 2025

#### 2. बाज़ार के माध्यम से बड़े उधारकर्ताओं के लिए ऋण आपूर्ति बढ़ाने पर दिशानिर्देश (निरसन परिपत्र), 2025

#### 3. भारतीय रिज़र्व बैंक (सामान्य बचत बैंक जमा खाता) निदेश, 2025

बैंकों, बाज़ार सहभागियों और अन्य इच्छुक पक्षों से 24 अक्तूबर 2025 तक निदेशों/ परिपत्रों के मसौदों पर टिप्पणियाँ आमंत्रित हैं। टिप्पणियाँ/ प्रतिक्रियाएँ रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध '[कनेक्ट टू रेगुलेट](#)' खंड के अंतर्गत दिए गए लिंक के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती हैं। वैकल्पिक रूप से, टिप्पणियाँ प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, विनियमन विभाग, केंद्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, 12वीं/13वीं मंजिल, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001 को या [ईमेल](#) द्वारा भेजी जा सकती हैं।

(पुनीत पंचोली)

मुख्य महाप्रबंधक